राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 154 / 2021

GCMS No. 2021/580

मनीराम पुत्र शीशपाल उम्र 40 वर्ष जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर (अहीरों की ढाणी) तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....वादी

ब–ना–म

1. बाघसिंह पुत्र रणमल सिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ
2. रामूसिंह पुत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ
3. अनोप कंवर पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपूत
4. अरविन्द सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
5. आसुसिंह पुत्र श्योदान सिंह जाति राजपूत
6. इन्द्रा पत्नी राजेन्द्र कुमार जांगिड़ जाति खाती
7. उदयसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत
8. गजेन्द्र सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
9. धणजीत सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत
10. नरेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत
11. नीरू कंवर पुत्री जगदीश सिंह जाति राजपूत
12. पृथ्वीसिंह पुत्र चूनाराम जाति अहीर (यादव) सा.शिमला हाल बड़ाऊ
13. पृथ्वी सिंह पुत्र केशर सिंह– **मृतक**

13/1. श्रवणी बेवा पृथ्वी सिंह

13/2. धर्मपाल
13/3. समशेरसिंह
13/4. सुरेन्द्र सिंह
13/5. महेन्द्र सिंह
13/6. राजवीर सिंह
} पुत्रान स्व. पृथ्वीसिंह

13/7. माया पुत्री पृथ्वीसिंह

14. प्रदीप सिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत
15. प्रवीणसिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत
16. बजरंगसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
17. बाबूलाल सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
18. मंगेज कंवर पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत
19. मदनसिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत
20. रूप कंवर पुत्री कायग सिंह जाति राजपूत
21. राजेन्द्र कुमार पुत्र बचनाराम जाति राजपूत
22. बिमला कंवर पत्नी स्व. कायम सिंह जाति राजपूत
23. श्रवणसिंह पुत्र श्योदान सिंह **(मृतक)** कोई वारिश नहीं।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

24. शीलादेवी पत्नी मनोज कुमार जाति अहीर (यादव)
25. संजय सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
26. संतोष कंवर पुत्री जगदीश सिंह जाति राजपूत
27. सुनिता देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति अहीर (यादव)
28. सुनिता कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
29. सुभिता देवी पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी तीतरवाला बड़ाऊ
30. सुमन देवी पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी तीतरवाला बड़ाऊ
31. सुमन कंवर पुत्री जगदीश सिंह जाति राजपूत
32. सुमेर सिंह पुत्र रिशाल सिंह जाति राजपूत
33. सूरज कंवर पत्नी केशर सिंह जाति राजपूत
34. हवा कंवर पुत्री कायम सिंह
    निवासीगण बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
35. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: दिनांक : 17–02–2023

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि झुन्झुनूं जिला अन्तर्गत तहसील खेतड़ी के ग्राम श्रीकृष्णनगर स्थित आराजी हाल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 86 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकबा 1.20 है., ख.नं. 481 रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. दर्ज रिकार्ड है। ग्राम श्रीकष्णनगर की जमाबन्दी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 82 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकबा 1.20 है., ख.नं. 481 रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बाघसिंह एवं उसके भाई जगदीश सिंह, गिरवर सिंह पुत्रान रणमलसिंह हिस्सा 1/10 कौम राजपूत की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जिसमें खातेदार जगदीश सिंह पुत्र रणमल सिंह ने अपना 1/30 हिस्सा पृथ्वीसिंह पुत्र चूनाराम जाति अहीर निवासी शिमला हाल आबाद बड़ाऊ को बिक्री कर देने पर उक्त जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 176 बेचान दिनांक 05.02.2008 का अंकन दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 93 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकवा 1.20 है., ख.नं. 481

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जाति

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में प्रतिवादी सं. 1 बाघसिंह के दूसरे भाई गिरवर सिंह ने उक्त खाते में दर्ज अपना हिस्सा 1/30 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पृथ्वीसिंह पुत्र चूनाराम को बिक्री कर देने पर उक्त जमाबन्दी में नामांतरण संख्या 385 दिनांक 20.09.2011 में गिरवर सिंह के स्थान पर पृथ्वीसिंह का नामांतरकरण दर्ज करने का अंकन दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त जमाबन्दी में दर्ज तीसरे भाई प्रतिवादी सं. 1 ने भी उक्त वर्णित खाते में दर्ज अपना हिस्सा 1/30 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के हक में दिनांक 10.02.2012 को करवा कर उसका कब्जा वादी को संभला दिया जब से आज तक वादी अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि पर बहैसियत मालिक शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। ग्राम श्रीकृष्णनगर की जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 180 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकबा 1.20 है., ख.नं. 481 रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में प्रतिवादी सं. 1 बाघसिंह पुत्र रणमल सिंह का हिस्सा 1/30 दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 76 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकबा 1.20 है., ख.नं. 481 रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में भी प्रतिवादी सं. 1 बाघसिंह हिस्सा 1/30 की खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम ही खातेदारी दर्ज है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा /30 के स्थान पर 1/60 दर्ज कर रखा है तथा 1/60 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 रामूसिंह पुत्र रणमल सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि रामूसिंह पुत्र रणमल सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से मिलकर जानकारी की कि रामूसिंह पुत्र रणमल सिंह कौन है तो प्रतिवादी सं. 1 ने बताया कि रामूसिंह पुत्र रणमल सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रणमल सिंह के हम तीन पुत्र हैं जिसमें बड़ा मैं बाघसिंह, दूसरे नंबर पर जगदीश सिंह, तीसरे नंबर पर गिरवर सिंह ही है और हमारे तीनों भाईयों के अलावा रामसिंह नाम का हमारा कोई भाई नहीं है। हाल जमाबन्दी में रामूसिंह के नाम जो खातेदारी दर्ज हुई है वह गलत है, मैंने मेरा 1/30 हिस्सा वादी को बिक्री कर कब्जा संभला दिया था तथा हाल जमाबन्दी में रामसिंह का हिस्सा 1/30 के स्थान पर 1/60 दर्ज किया है वह भी गलत

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर
हसील खेतड़ी

बाघसिंह पुत्र रणमल सिंह
जाति राजपूत निवासी

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रतिवादी सं. 3 लगा. 34 उक्त जमाबन्दी में सहखातेदार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है परन्तु उनके खिलाफ वादी कोई अनुतोष नहीं चाहता है ना ही उनके हिस्से को प्रभावित करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) घोषित किया जावे कि आराजी कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 86 के ख.नं. 470 रकबा 0.57 है., ख.नं. 471 रकबा 0.10 है., ख.नं. 472 रकबा 0.10 है., ख.नं. 473 रकबा 1.10 है., ख.नं. 478 रकबा 1.21 है., ख.नं. 479 रकबा 0.67 है., ख.नं. 480 रकबा 1.20 है., ख.नं. 481 रकबा 2.11 है., ख.नं. 482 रकबा 0.93 है., ख.नं. 582 रकबा 2.82 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में वादी को 1/30 हिस्से की कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2012 को खरीद कर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 1/60 के स्थान पर 1/30 एवं प्रतिवादी सं. 02 का हिस्सा 1/60 हटाकर उक्त रेवेन्यू रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर आपसी सहमति का राजीनामा भी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 लगा. 35 से वादी को कोई अनुतोष नहीं चाहिए, इसलिए प्रतिवादी सं. 2 लगा. 35 की तलबी बन्दी की जाती है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में तहसीलदार, खेतड़ी से जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/2922 दिनांक 22.11.2022 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त नंगलीसलेदीसिंह की मूल जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल मिसल की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मिसल हैकियत ग्राम बड़ाऊ के खाता सं. 566 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में अन्य खातेदारों के साथ प्रभूसिंह रामूसिंह हिस्स 1/10 दर्ज है जिसमें दोनों नामों के बीच या बाद में सम्बंध सूचक शब्द नहीं हैं जबकि वास्तव में प्रभूसिंह पु. रामूसिंह हिस्सा 1/10 होना चाहिए था जो श्रीकृष्णनगर के नामांतरकरण सं. 11 दिनांक 21.01.2002 से भी साबित होता है परन्तु उक्त नामांतरकरण के अमल के बाद आगामी जमाबन्दी में रामूसिंह का नाम न हटाया जाकर रामूसिंह को अलग खातेदार मानते हुऐ हिस्सा 1/20 दर्ज होकर संवत् 2072–75 तक चलता आ रहा है तथा प्रभूसिंह कि विरासत के नामांतरकरण सं. 11 कू

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ग्राद दोनों वारिश किशोर सिंह हिस्सा 1/20 व निवाससिंह हिस्सा 1/20 पि0 प्रभूसिंह द्वारा अलग–अलग बेचान के क्रेता राजेन्द्र कुमार पु0 बचनाराम हिस्सा 1/20 हुआ जो वर्तमान में भी दर्ज है। इस प्रकार रामूसिंह हिस्सा 1/20 सेग्रीगेशन तक सभी खातेदारों का हिस्सा पूर्ण एक के बजाय 1/20 बढ़कर चलता आया। वक्त सेग्रीगेशन हिस्सा एक करते वक्त रामूसिंह हिस्सा 1/20 जो हटाया जाना था के स्थान पर बाघसिंह पु. रड़मलसिंह हिस्सा 1/30 था जो सही था को हिस्सा 1/60 दर्ज कर तथा रामूसिंह पु0 रड़मलसिंह हिस्सा 1/60 दर्ज कर हिस्से का योग एक कर दिया गया जबकि रड़मल सिंह भी रामूसिंह का पुत्र था। अतः उक्त प्रकरण में प्रभूसिंह रामूसिंह का पुत्र था जिनका हिस्सा 1/10 था तथा उक्त हिस्सा प्रभूसिंह के वारिशों द्वारा राजेन्द्र कुमार को बेचान करने से सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता राजेन्द्र कुमार के हिस्सा 1/10 दर्ज होकर आया वही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त खाते में रामूसिंह को अलग खातेदार मानकर हिस्सा 1/20 को गलत कर हटाया जाना था परन्तु वर्तमान सेग्रीगेशन में बाघसिंह पु0 रड़मल सिंह हिस्सा 1/60 व रामूसिंह पु0 रड़मलसिंह हिस्सा 1/60 के स्थान पर बाघसिंह पु0 रड़मल सिंह हिस्सा 1/30 दर्ज होकर दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 86, संवत् 2061–2064 खाता सं. 82, संवत् 2065–68 खाता सं. 93, सवंत् 2068–71 खाता सं. 180, सवंत् 2072–75 खाता सं. 76 ग्राम श्रीकृष्णनगर, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2012 पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर वादी की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीकृष्णनगर के खाता सं. 93 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में प्रतिवादी सं. 1 बाघसिंह ने अपना हिस्सा 1/30 सम्पूर्ण वादी को बेचान कर दिया था। जिसकी ताईद प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 25.11.2021 से होती है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः **ग्राम श्रीकष्णनगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 86 में दर्ज कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बागसिंह पुत्र रड़मल सिंह का हिस्सा 1/60 के स्थान पर हिस्सा 1/30 दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 2 रामूसिंह पुत्र रड़मल सिंह हिस्सा 1/60 हजफ किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मनीराम

ब–ना–म

वाघसिंह आदि

बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मा नम्बर :– 154/2021

दिनांक :– 17–02–2023

वादी की ओर से **श्री विश्वनाथ अग्रवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... परिस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के ेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम श्रीकष्णनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 86 में दर्ज कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 है. में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बागसिंह पुत्र रड़मल का हिस्सा 1/60 के स्थान पर हिस्सा 1/30 दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के पर वादी को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त त भूमि में वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 2 रामूसिंह पुत्र रड़मल सिंह हिस्सा हजफ किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner